

दिल्ली विकास प्राधिकरण

गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 1520

दिनांक:- 14-11-18

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर निम्नलिखित निजी सचिव तथा सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) को उप निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 11 में (जो कि छठे वेतन आयोग में 15600-39100/-रु. के पे बैंड में 6600/- रु. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं :

निजी सचिव

क्रम सं./ वरि. सं०	नाम व पिता/पति का नाम सर्वश्री/-	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/161	श्रीमती वीणा रूप अधलखा धर्मपत्नी श्री आर.सी. अधलखा	अतिरिक्त आयुक्त (योजना) कार्यालय

सहायक निदेशक

क्रम सं./ वरि. सं०	कर्मचारी का नाम व पिता का नाम सर्वश्री/-	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/597	अशोक जांगिड़ सुपुत्र श्री एस.सी. जांगिड़	भूमि विक्रय शाखा (व्यावसायिक)
2/614	राकेश कुमार शर्मा सुपुत्र स्व. श्री राधे श्याम शर्मा	पी.आई.एम.एस.

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 15600-39100/- रु. के वेतनमान में 6600/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 11 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 11 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. उप निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें निम्नानुसार तैनात किया है:

क्रम सं.	नाम व पिता/पति का नाम सर्वश्री/-	स्थान से	स्थान को
1.	श्रीमती वीणा रूप अधलखा धर्मपत्नी श्री आर.सी. अधलखा	पदोन्नति पर	कार्मिक शाखा
2.	अशोक जांगिड़ सुपुत्र श्री एस.सी. जांगिड़	पदोन्नति पर	आवास (रिक्त स्थान पर)
3.	राकेश कुमार शर्मा सुपुत्र स्व. श्री राधे श्याम शर्मा	पदोन्नति पर	भूमि प्रबंधन (रिक्त स्थान पर)

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।



(तेजपाल सिंह)

उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

सं०-एफ.10(58)2018/सी.सी./ 1572

सं०-एफ.10(104)2018/सी.सी./

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. प्रधान आयुक्त (कार्मिक) / भूमि प्रबंधन / भूमि निपटान / आवास, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
3. आयुक्त (कार्मिक) / भूमि प्रबंधन / भूमि निपटान / आवास, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. अतिरिक्त आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता 1 - 2 / प्रणाली / भूमि विक्रय शाखा (व्यावसायिक) / भूमि प्रबंधन (मुख्यालय) एवं 1 / आवास 1 एवं 2, दि.वि.प्रा.।

दिनांक:- 14-11-18

6. उप निदेशक (कार्मिक)-1 / सतर्कता(प्रशा.) / आरक्षण कक्ष / भूमि निपटान (समन्वय) / भूमि प्रबंधन (समन्वय) / आवास (समन्वय), दि.वि.प्रा. ।
7. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us-> Organisation-> Personnel-> Promotions 2018)
8. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 / पी.आई.एम.एस. / गोपनीय कक्ष - 2, दि.वि.प्रा. ।
9. लेखाधिकारी (संस्था.) राजपत्रित / (संस्था.) योजना , दि.वि.प्रा. ।
10. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
11. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल ।

दृश

सहायक निदेशक (गोपनीय शाखा)